Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding refund of money to investors.

डॉ. करण सिंह यादव (अलवर): पर्ल एग्रोकॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसीएल) में देश भर में 5 करोड़ 85 लाख निवेशकों के 49100 करोड़ रुपये बकाया हैं, जिसका भुगतान 2013 से नहीं किया जा रहा है। | निवेशकों ने अपने हितों की सुरक्षा हेतु ऑल इन्वेस्टर्स सेफ्टी आर्गेनाइजेशन नाम की रजिस्टर्ड संस्था बना रखी है और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि गरीब व मध्यम वर्ग निवेशकों के पैसे उन्हें दिलाये जायें।

सेबी (SEBI) ने कम्पनी के कारोबार को अवैध मानते हुए 22 अगस्त, 2014 से बन्द कर दिया तथा वसूली के लिए सुप्रीम कोर्ट में गये, सुप्रीम कोर्ट ने निवेश्कों के हित को ध्यान में रखते हुए 2 फरवरी, 2016 को माननीय जस्टिस आर0एम0 लोढा (सेवा निवृत चीफ जस्टिस) की अध्यक्षता में कमेटी गठित करके पीएसीएल की सभी परिसम्पत्तियों को नीलाम कर 6 माह में भुगतान के निर्देश दिए। मगर लगभग 3 वर्ष पूर्ण होने पर भी किसी भी निवेशक को एक रुपये का भुगतान नहीं हुआ।

माननीय वित्त मंत्री व कम्पनी मामलों के मंत्री जी से निवेदन है कि इन सभी प्रकरण में भुगतान जल्द से जल्द किये जाने के लिए रास्ता निकालें। पीएसीएल की परिसम्पत्तियों को निश्चित समय सीमा में बेचकर गरीब निवेशकों को भुगतान किया जाये।